

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.11(1)नविवि/सवाईमाधोपुर/2015

जयपुर, दिनांक: - 4 AUG 2021

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार के आदेश संख्या प.11(1)नविवि/सवाई माधोपुर/2015, जयपुर दिनांक 31.12.2015 को राजस्थान नगर सुधार अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचना प्रकाशित की गई, जिसमें अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान) राजस्थान, जयपुर को सवाई माधोपुर के नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान बनाने के लिए अधिकृत किया गया एवं सवाईमाधोपुर के नगरीय क्षेत्र में 38 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुये नगरीय क्षेत्र अधिसूचित किया गया, की निरंतरता में निम्न 02 राजस्व ग्रामों को क्रम संख्या 39 व 40 पर जोड़ा जाता है।

क्रम सं.	राजस्व ग्रामों के नाम (हिन्दी में)	राजस्व ग्रामों के नाम (अंग्रेजी में)
39	नया पढाना	NAYA PADHANA
40	संग्रामपुरा	SANGRAMPURA

राज्यपाल की आज्ञा से


—sd—

(नवनीत कुमार)

संयुक्त शासन सचिव—द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, (पूर्व)राजस्थान, जयपुर।
6. जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा।
8. सचिव, नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 4/8/21 में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।


3/8/2021

संयुक्त शासन सचिव—द्वितीय